भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 1931

उत्तर देने की तारीखः 11.03.2025

राष्ट्रीय यांत्रिक स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र कार्य-योजना

1931. श्री ई. टी. मोहम्मद बशीरः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि राष्ट्रीय यांत्रिक स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र कार्य-योजना (नमस्ते) में कमी है;

(ख यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि कानूनी रूप से प्रतिबंधित होने के बावजूद भी भारतीय रेल सहित देश के विभिन्न भागों में सिर पर मैला ढोने की प्रथा जारी है, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान सरकारी योजनाओं के अंतर्गत राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार कितने सिर पर मैला ढोने वाले व्यक्तियों की पहचान की गई है, उनका पुनर्वास किया गया है और उन्हें सहायता प्रदान की गई है;

(ङ) वर्ष 2019 से 2024 तक रेल पटरियों, सीवरों और सेप्टिक टैंको की सफाई के दौरान हुई मौतों सहित सिर पर मैला ढोने संबंधी कार्यों के कारण राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार कुल कितनी मौतें हुई हैं; और

(च) क्या भारतीय रेल द्वारा मानव अपशिष्ट की सफाई सहित सिर पर मैला ढोने संबंधी कार्यकलापों के लिए कामगारों को नियोजित अथवा अनुबंध पर रखना जारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क) और (ख): सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के साथ मिलकर सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने तथा उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से "राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता इकोसिस्टम कार्ययोजना (नमस्ते)" योजना तैयार की है, जिसे देश के सभी 4800 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में लागू करने के लिए 2023-24 में लांच किया गया था। देश में नमस्ते योजना की उपलब्धियां इस प्रकार हैं:-

- 34 राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों में 66,961 सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मचारियों (एसएसडब्लू) को मान्य किया गया है। ओडिशा और तमिलनाडु के लिए उपलब्ध आंकड़ों को केंद्रीय नमस्ते डाटाबेस के साथ एकीकृत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
- आपातकालीन प्रतिक्रिया स्वच्छता इकाइयों के लिए कुल मिलाकर 45,292 पीपीई किट और 354 सुरक्षा उपकरण किट की आपूर्ति की गई है/आर्डर दिया गया है।
- 15,160 लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं।
- 599 सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों को स्वच्छता संबंधी परियोजनाओं के लिए 17.23 करोड़ रुपये की पूंजीगत सब्सिडी जारी की गई है।
- नमस्ते के तहत मैनुअल स्कैवेंजर श्रेणी से संबंधित 273 लाभार्थियों और उनके आश्रितों को वैकल्पिक स्व-रोजगार परियोजनाएं शुरू करने के लिए 4.04 करोड़ रुपये की पूंजीगत सब्सिडी जारी की गई है।
- वित्त वर्ष 2023-24 से सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई करने वाले कर्मचारियों को नियुक्त करने वाले नगर निगम/नगर पालिका और अन्य ऐसे संगठनों में सीवर और सेप्टिक टैंक की जोखिमपूर्ण सफाई की रोकथाम के संबंध में 1000 कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं।

(ग) और (घ): "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (एमएस अधिनियम, 2013)" के अनुसार 06.12.2013 से देश में मैनुअल स्कैवेंजिंग एक निषिद्ध गतिविधि है। कोई भी व्यक्ति या एजेंसी उपरोक्त तिथि से मैनुअल स्कैवेंजिंग के लिए किसी भी व्यक्ति को नियुक्त या नियोजित नहीं कर सकती है। कोई भी व्यक्ति या एजेंसी जो एमएस अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए किसी व्यक्ति को मैनुअल स्कैवेंजिंग के लिए नियुक्त करती है, उसे उपरोक्त अधिनियम की धारा 8 के तहत 2 साल तक के कारावास या एक लाख रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान भारतीय रेलवे सहित जिलों से मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रथा की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। वर्ष 2013 और 2018 में मैनुअल स्कैवेंजरों को चिह्नित करने के लिए दो सर्वेक्षण किए गए हैं। इन दो सर्वेक्षणों के अनुसार, 58,098 पात्र मैनुअल स्कैवेंजरों को चिह्नित कर लिया गया है।

मैनुअल स्कैवेंजरों के पुनर्वास के लिए परिकल्पित स्व-रोजगार योजना (एसआरएमएस) के अंतर्गत मैनुअल स्कैवेंजरों के पुनर्वास के लिए निम्नलिखित लाभ प्रदान किए गए हैं: -

क. सभी अभिचिह्नित और पात्र 58,098 मैनुअल स्कैवेंजरों को प्रति परिवार 40,000/- रुपये की एकमुश्त नकद सहायता प्रदान की गई है।

ख. 2,544 मैनुअल स्कैवेंजरों और उनके आश्रितों को वैकल्पिक स्व-रोजगार परियोजनाएं शुरू करने के लिए 5,00,000/- रुपये तक की पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की गई है।

ग. 24,294 अभिचिह्नित मैनुअल स्कैवेंजरों और उनके आश्रितों को प्रशिक्षण अवधि के दौरान 3,000/- रुपये प्रति माह की दर से वजीफे के साथ कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

(ङ): अस्वच्छ शौचालयों से मानव मल उठाने के लिए मैनुअल स्कैवेंजिंग के कारण किसी की मृत्यु की सूचना नहीं मिली है।

सीवर और सेप्टिक टैंकों की जोखिमपूर्ण सफाई और "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 और एमएस नियम, 2013" के तहत विहित सुरक्षा सावधानियों का पालन न करने के कारण राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों में मौतें हुई हैं।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (एनसीएसके) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 2019 से 2024 के दौरान सीवर और सेप्टिक टैंकों की जोखिमपूर्ण सफाई के कारण अपनी जान गंवाने वाले सफाई कर्मचारियों का विवरण **अनुबंध** में है।

(च): स्टेशन/प्लेटफॉर्म और कोच की सफाई का काम मशीनीकृत साधनों के माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा, भारतीय रेलवे प्रणाली के सभी यात्री कोचों में बायो-टॉयलेट लगाए गए हैं।

अनुबंध

राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता इकोसिस्टम कार्ययोजना के संबंध में 11.03.2025 को उत्तर देने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1931 के भाग (ड.) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

2019 से 2024 तक सीवर/सेप्टिक टैंक संबंधी मृत्यु का विवरण (कैलेंडर वर्षवार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र का नाम	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	आंध्र प्रदेश	0	0	2	3	0	0
2	बिहार	0	0	0	0	2	0
3	दादरा और नगर हवेली	0	0	3	0	0	0
4	दिल्ली	12	4	4	10	0	7
5	गोवा	0	0	0	0	0	1
6	गुजरात	23	5	5	7	10	0
7	हरियाणा	16	1	6	22	6	1
8	झारखण्ड	0	3	0	0	1	0
9	कर्नाटक	7	5	7	0	3	2
10	मध्य प्रदेश	1	0	5	0	2	3
11	महाराष्ट्र	16	4	7	19	10	9
12	ओडिशा	0	0	2	0	0	0
13	पंजाब	3	0	2	0	6	1
14	राजस्थान	5	1	1	0	10	7
15	तमिलनाडु	22	16	3	14	8	6
16	तेलंगाना	0	0	4	1	1	3
17	उत्तर प्रदेश	19	0	5	11	1	10
18	पश्चित बंगाल	0	0	6	0	3	0
	कुल	**124**	**39**	**62**	**87**	**63**	**50**

******